के अधीन निरीक्षण करने के लिए एक अभिकरण के रूप में मान्यता प्रदान करती है, अर्थात् :—

(I) मैसर्स क्वालिटी सर्विस और सोल्यूशन (गोवा), खनिज और अयस्क (ग्रुप-1) निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अधीन निरीक्षण प्रमाण पत्र देने के लिए उनके द्वारा अपनाई गई पद्धति की जांच करने के लिए इस निमित्त निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारियों को पर्याप्त सुविधाएं देगी।

(II) मैसर्स क्वालिटी सर्विस और सोल्यूशन (गोवा), इस अधिसूचना के अधीन अपने कृत्यों के पालन में निर्यात (निरीक्षण और क्वालिटी नियंत्रण) नियम, 1964 के नियम 12 के उपनियम (1) के अधीन ऐसे निर्देश से आबद्ध रहेंगे तो उन्हें समय-समय पर लिखित रूप में दिऐ जाएं।

[फा. सं. 5/3/2004-ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

New Delhi, the 14th May, 2004

S.O. 1244.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) read with sub-rule (2) of rule 12 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby recognises for a period of three years from the date of publication of this notification, M/s. Quality Services & Solutions (Goa), located at Flat No. 109, Khalap Mansion, Vasco-da-Gama, Goa-403802, as an agency for the Inspection of minerals and Ores, Group-1, namely, Iron Ore, Manganese Ore, Ferro manganese including Ferro manganese slag, Bauxite including Calcined Bauxite specified in the Schedule annexed to the Ministry of Commerce notification number S.O. 3975, dated 20th December, 1965, prior to export at Goa subject to the following conditions, namely:—

(i) that M/s. Quality Services and Solutions (Goa), shall give adequate facilities to the officers nominated by the export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by them in granting the certificate of inspection under rule 4 of the Export of Minerals and Ores Group-I (Inspection) Rules, 1965;

(ii) That M/s. Quality Services and Solutions (Goa), in the performance of their function under this notification shall be bound by such directives as may be given to them in writing from time to time under sub-rule (1) of rule 12 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

[F. No.5/3/2004-EI & EP]

RAJ SINGH, Director

नई दिल्ली, 14 मई, 2004

का. आ. 1245.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शहद उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहद उत्पाद निर्यात (क्वालिटी, नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शहद उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2002 में,—

(i) नियम 3 के उपनियम (क) में, "इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करेगी।" शब्दों के स्थान पर "इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करेगी ; या" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) नियम 7 में उपनियम (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति से तीस दिन के भीतर किया जाएगा।"

[फा. सं. 6/3/2000-ई.आई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 277(अ), तारीख 4 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें अधिसूचना का.आ. 1444(अ), तारीख 19 दिसम्बर, 2003 द्वारा संशोधन किया गया था।

New Delhi, the 14th May, 2004

S.O. 1245.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Honey (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2002, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Export of Honey (Quality Control, Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2004.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Honey (Quality Control, Inspection and Monitroing) Rules, 2002,—

(i) In sub rule (a) of rule 3, for the words "the council shall issued necessary instruction in this regard." The words "the council shall issue necessary instruction in this regard; or" shall be substituted;

(ii) in rule 7, for sub-rule (d) the following sub rule shall be substituted, namely:—

"(d) The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt."

[F. No. 6/3/2000-EI & EP]

RAJ SINGH, Director

Note :— The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* S.O. 277(E) dated the 4th March 2002 and was subsequently amended *vide* notification S.O. No. 1444(E) dated 19th December, 2003.

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, 20 मई, 2004

का. आ. 1246.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम-10 के उप नियम-4 के अनुसरण में भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लि. पटना के निम्नलिखित कार्यालय को, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक, अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:—

1. भारत वैगन एण्ड इंजीजियरिंग कंपनी लि.,
मुजफ्फरपुर इकाई, मुजफ्फरपुर-842001 (बिहार)

2. भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लि.,
क्षेत्रीय कार्यालय, 104, आकाशदीप,
26-ए बाराखम्भा रोड,
नई दिल्ली-110001

[फा. सं. ई. 11012/1/2001-हिन्दी]

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY AND PUBLIC ENTERPRISES

(Department of Heavy Industry)

New Delhi, the 20th May, 2004

S.O. 1246.—In pursuance of the sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office whereof more than 80% of staff have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Bharat Wagon & Engineering Company Ltd.
Muzaffarpur Unit,
Muzaffarpur-842001 (Bihar)

2. Bharat Wagon & Engineering Co. Limited,
Zonal Office, 104 Akashdeep
26-A Barakhamba Road,
New Delhi-110001

[F. No. E. 11012/1/2001-Hindi]

R. K. SINGH, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)

नई दिल्ली, 19 मई, 2004

का. आ. 1247.—कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 की धारा 7(2) तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा निर्मित स्थाई वित्त समिति के विनियम 2(iv) के अनुसरण में, शासी निकाय ने अपने सदस्य डा. पी. के. सिंह, कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-208002 (उत्तर प्रदेश) को 5-5-2004 से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थाई वित्त समिति के सदस्य के रूप में चुना है।

[फा. सं. 6(1)/2003-गवर्नेंस सैल]

शशि मिश्रा, अपर सचिव

MINISTERY OF AGRICULTURE

(Department of Agricultural Research and Education)

(Indian Council of Agricultural Research)

New Delhi, the 19th May, 2004

S.O. 1247.—In pursuance to Section 7(2) of the A. P. Cess Act, 1940 and Regulation 2 (iv) of the Standing Finance Committee Regulations framed by the Indian Council of Agricultural Research, the Governing Body has elected Dr. P. K. Singh, Vice-Chancellor, Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur 208002 (Uttar pradesh) its Member to the Standing Finance Committee for a period of one year with effect from 5th May, 2004.

[F. No. 6(1)/2003-Gov-Cell]

SHASHI MISRA, Addl. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 13 मई, 2004

का. आ. 1248.—दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग-I में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत :—

अनुसूची के भाग-I में क्रम संख्या 34 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी; नामत :